सत्यमेव जयते

अष्टादश

बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 01 श्रावण, 1948 (श०) / 23 जुलाई, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 166

(1)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	..	..	..	25
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	..	..	..	65
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	..	..	..	28
(4)	कृषि विभाग	..	..	..	21
(5)	डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग	..	..	..	14
(6)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	..	..	..	05
(7)	सहकारिता विभाग	..	..	..	08
				कुल योग --	166

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

*346. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावां)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि केन्द्र प्रायोजित पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत चयनित पैक्सों में विभिन्न कम्पनियों द्वारा आपूर्ति किये गये हार्डवेयर यथा डेस्कटॉप कम्प्यूटर, वेबकेम, प्रिंटर, वी०पी०एन० बायोमैट्रिक स्कैनर, यू०पी०एस० आदि में से कई यंत्र मानक के अनुरूप नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार केन्द्र प्रायोजित पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत चयनित पैक्सों में विभिन्न कम्पनियों द्वारा आपूर्ति किये गये हार्डवेयर यंत्र निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने की जाँच करते हुये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विस्थापित परिवारों का पुनर्वास

*347. श्री मुरारी पासवान (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत पीरपैंती विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रानी दियारा एवं बीरबन्ना ग्राम पंचायत में बाढ़ एवं कटाव पीड़ितों के बीच वासगीत पर्चा तो वितरित किया गया परंतु उन्हें आजतक वास्तविक भूमि उपलब्ध नहीं कराया जा सका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में वितरित पर्चा के बावजूद लगभग 85% प्रतिशत बाढ़ पीड़ित लाभार्थी परिवार आज भी भूमिहीन है और आशियाने के अभाव में दर-दर भटकने को विवश हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु भूमि आवंटन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

धोबी घाट का निर्माण कराना

*348. श्री संजय कुमार (क्षेत्र संख्या-183 कुम्हरार)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम अन्तर्गत वार्ड संख्या 32, जगनपुरा में धोबी घाट-सह-सामुदायिक भवन निर्माण हेतु पटना नगर निगम द्वारा 2024 में प्राक्कलन बनाया गया था परंतु लगभग दो साल बीत जाने के बाद भी धोबी घाट निर्माण कार्य पटना नगर निगम के द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त धोबी घाट का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*349. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 40 में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना 1 (हर घर नल का जल) के तहत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत घरों में अबतक क्रियाशील नल कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वार्ड में वर्तमान में जलापूर्ति पूरी तरह ठप है और वंचित घरों में नये कनेक्शन देने का कार्य भी लंबे समय से बंद पड़ा है जिससे शुद्ध पेयजल का संकट गहरा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वार्ड संख्या 40 में शेष घरों को कनेक्शन देकर जलापूर्ति शुरू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु

*350. श्री संजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर मुख्य बाजार के डाक बंगला से स्टेशन रोड तक फुटपाथी विक्रेताओं द्वारा अवैध रूप से हाट (बाजार) लगने के कारण प्रतिदिन गंभीर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आमजनता और रेल यात्रियों

को कठिनाई होती है, जबकि उक्त मार्ग के समीप ही पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में उक्त खाली सरकारी जमीन पर हाट को स्थानांतरित करते हुये उक्त मार्ग को कबतक अतिक्रमण मुक्त (नो वेंडिंग जोन) करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ड्रेनेज का निर्माण

*351. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत नगर परिषद् बनमनखी में बरसात के दिनों में प्रत्येक वर्ष जल-जमाव की समस्या से शहरवासी त्रस्त रहते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नगर परिषद् में मुख्य नाला सहित सहायक नाले के साथ ड्रेनेज का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क की मरम्मती

*352. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत नगर परिषद् बिक्रमगंज के क्षेत्राधीन बिक्रमगंज थाना से घुसियां कला होते हुये वार्ड 26 के सिकरिया तक सड़क जर्जर है जिसके कारण वाहन आदि के परिचालन एवं आमजनों को आवागमन में आये दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जर्जर सड़क का जिर्णोद्धार/मरम्मती कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नल-जल उपलब्ध कराने के संबंध में

*353. श्रीमती अश्वमेध देवी (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 30 में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अन्तर्गत नल-जल योजना का लाभ सभी परिवारों तक उपलब्ध नहीं हो सका है तथा नगर निगम वार्ड संख्या 01 ताल दशहरा के लगभग 50 परिवार आज भी इससे वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक दोनों क्षेत्रों के वंचित परिवारों को नल-जल योजना का लाभ उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशन कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड की सुविधा देना

*354. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में किसान सम्मान निधि पानेवाले किसानों के राशन कार्ड को बंद कर दिया जा रहा है जिसके कारण किसान सम्मान निधि का लाभ लेनेवाले किसान खाद्यान्न प्राप्त करने एवं आयुष्मान कार्ड के तहत देय सुविधाओं से वंचित हो जा रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सर्वेक्षण कराकर किसान सम्मान निधि पानेवाले किसानों को भी पूर्व की भांति राशन कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड की सुविधा पुन: बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चार डीसमील जमीन प्राप्त कराने हेतु

*355. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत लौरिया प्रखंड में अंग्रेजों द्वारा नील की खेती कराने हेतु वर्ष 1865 में गयाजी एवं झारखंड से आये मुसहर, धागड़ एवं पासी को परसा धांगर टोली, वार्ड सं० 12 में बसाया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि आजादी के 80 वर्षों बाद भी सरकार द्वारा इन 168 परिवारों को बासगीत पर्चा नहीं उपलब्ध कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त 168 परिवारों को चार डीसमील जमीन प्राप्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नगर निकायों में बहाली पर लगी रोक हटाना

*356. श्री रजनीश कुमार (क्षेत्र संख्या-143 तेघड़ा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नगर निकाय एवं स्वशासी संस्था है और अपने क्षेत्र के विकास के लिये स्वतंत्र दायित्व निर्वहन करती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर निकायों में विकास कार्यों के सुचारू संचालन के लिये कर्मियों की आवश्यकता होती है और स्थानीय स्तर पर कर्मियों की बहाली पर सरकार की ओर से रोक लगा हुआ है ;

(3) क्या यह बात सही है कि विभागीय स्तर पर भी कर्मियों की बहाली नहीं होने के कारण विकास कार्य लंबित होते जा रहे हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नगर निकायों को स्थानीय स्तर पर कर्मी बहाल करने पर लगी रोक को हटाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु

*357. श्री मनोज कुमार (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला मुख्यालय एवं नगर परिषद् क्षेत्र में सार्वजनिक वाहनों एवं निजी वाहनों के लिये पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण प्रतिदिन यातायात जाम एवं आमजनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अरवल नगर क्षेत्र में व्यवस्थित पार्किंग स्थल विकसित करने तथा पार्किंग शुल्क का एक समान एवं पारदर्शी निर्धारण सुनिश्चित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*358. श्रीमती रेणु देवी (क्षेत्र संख्या-08 बेतिया)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया सदर प्रखण्ड में अनुमंडल पशु अस्पताल तथा जिला संसाधन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण का शिलान्यास 11 माह पूर्व किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल एवं प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण प्राक्कलन के अनुसार नहीं किया जा रहा है, एवं धीमी गति से किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पशु अस्पताल एवं प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण प्राक्कलन के गुणवत्ता की जाँच ससमय कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रिक्त पदों पर बहाली

*359. मो० सरवर आलम (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत कोचाधामन विधान सभा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर राजस्व कर्मचारियों और अमीनों के पद रिक्त होने के कारण आमजनता को म्यूटेशन, परिमार्जन और भूमि नापी के हजारों मामले महीनों से लंबित पड़े हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि डी०सी०एल०आर० न्यायालय द्वारा रैयतों के पक्ष में फैसला (जमीन का मालिकाना हक/डिक्री) सुनाये जाने के बाद भी स्थानीय प्रशासन और अंचल कार्यालयों द्वारा जमीन पर भौतिक कब्जा दिलाने में शिथिलता बरती जा रही है, जिससे भू-विवाद और कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक रिक्त पड़े अमीन एवं राजस्व कर्मचारियों के पदों पर बहाली/स्थापना करने तथा DCLR कोर्ट के फैसलों को समय-सीमा के भीतर लागू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

एजेंसी का जाँच कराना

*360. श्री मनोज यादव (क्षेत्र संख्या-163 बेलहर)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभाग में एम०आई०एस०, डाटा प्रबंधन तथा अन्य तकनीकी प्रकृति के महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य ड्रीमलाइन टेक्नोलॉजी जैसी बाह्य एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त कर्मियों द्वारा कराये जा रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि ड्रीमलाइन टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग एजेंसी के विरुद्ध समय-समय पर धन लेकर कर्मचारियों की नियुक्ति करने डाटा एवं तकनीकी सूचनाओं की गोपनीयता भंग करने, धोखाधड़ी, अनुबंध उल्लंघन तथा अन्य अनियमितताओं से संबंधित आरोप लगते रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ड्रीमलाइन टेक्नोलॉजी जैसी बाह्य एजेंसियों के विरुद्ध जाँच कराने तथा दोषी पाये जाने पर ब्लैकलिस्ट करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नगर परिषद् का भवन निर्माण

*361. श्री रामानन्द मंडल (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढ़ा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखंड में वर्ष 2022 में सूर्यगढ़ा नगर परिषद् का गठन किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गठन के समय से ही नगर परिषद् का भवन निजी मकान में चल रहा है, भवन के अभाव में जन-प्रतिनिधियों के अलावे पदाधिकारी, कर्मियों एवं ग्रामीण जनता को कार्य करने/कराने में काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नगर परिषद् का भवन निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विशेष मुआवजा देना

*362. श्री गौतम कृष्ण (क्षेत्र संख्या-77 महिषी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में असामयिक वर्षा, आंधी-तूफान, ओलावृष्टि अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को क्षति होने पर सरकार द्वारा क्षति का आकलन कर किसानों को निर्धारित प्रावधानों के तहत मुआवजा प्रदान किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के महिषी विधान सभा-क्षेत्र की लगभग 15 पंचायतें वर्ष 1959/63 के बीच निर्मित कोसी तटबंधों के अंदर स्थित हैं, जहाँ कोसी नदी की बाढ़, जल-जमाव, कटाव तथा असामान्य परिस्थितियों के कारण किसानों की लगभग प्रत्येक कृषि मौसम में फसलें प्रभावित होती है और उन्हें लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त किसानों को प्रत्येक कृषि मौसम में होने वाली फसल क्षति के लिए विशेष कृषि राहत पैकेज लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

समग्र विकास हेतु मास्टर प्लान के संबंध में

*363. श्री मनोज विश्वास (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज विधान सभा क्षेत्र में 01 नगर परिषद् एवं 01 नगर पंचायत है, जहाँ सड़क, नाला, जल निकासी, पेयजल एवं स्ट्रीट

लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास अपेक्षित स्तर पर नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक फारबिसगंज नगर परिषद् एवं नगर पंचायत के समग्र विकास हेतु मास्टर प्लान बनाकर आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर विकास कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमाबंदी एवं स्वामित्व प्रदान करना

*364. श्री विमल राजवंशी (क्षेत्र संख्या-235 रजौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के रजौली प्रखंड अंतर्गत फुलवरिया जलाशय (हरदिया डैम) परियोजना के निर्माण के कारण वर्ष 1985 में विस्थापित हुए लगभग 850 परिवारों को पुनर्वास हेतु मौजा रामदासी, बौढ़ीकला, हरदिया एवं जाजपुर में सिंचाई एवं पुनर्वास विभाग द्वारा प्रत्येक परिवार को 25 डिसमिल भूमि आवंटित कर पर्चा प्रदान किया गया था, किन्तु आजतक उक्त भूमि पर रैयती अधिकार, जमाबंदी एवं विधिवत स्वामित्व मान्यता प्रदान नहीं की गई है, जिसके कारण विस्थापित परिवार किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि ऋण सहित राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पुनर्वास भूमि पर सभी पात्र विस्थापित परिवारों को रैयती अधिकार, जमाबंदी एवं विधिवत स्वामित्व प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु

*365. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला सहित उत्तर बिहार में पानी का जल स्तर बहुत नीचे जाने से चापाकल सूख गया है और वर्षा भी बहुत कम हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार एवं सोनबरसा प्रखंड में नया समरसेबुल बोरिंग पेयजल के लिए गड़ा है, परन्तु पाइप लाइन नहीं बिछने के कारण लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीतामढ़ी जिला के परिहार एवं सोनबरसा प्रखंड में नल-जल की सभी कमियों को दूर करते हुए जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ड्रेनेज की व्यवस्था कराना-

*366. श्री अतिरेक कुमार (क्षेत्र संख्या-78 कुशेश्वरस्थान (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल एवं कुशेश्वरस्थान क्षेत्रों में समुचित ड्रेनेज व्यवस्था नहीं रहने के कारण बरसात के मौसम में जल-जमाव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे उक्त क्षेत्र की जनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त क्षेत्रों में समुचित ड्रेनेज की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला निर्माण

*367. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज नगर पंचायत के वार्ड संख्या 19 के पुरनी सरैया के इलाके में जल निकासी हेतु नाला का निर्माण नहीं होने से जल-जमाव की भीषण समस्या बनी हुई है. यहाँ तक कि प्राथमिक विद्यालय और देवीस्थान मंदिर के प्रांगण में भी जल-जमाव बना हुआ है जिससे आमजन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पालीगंज नगर पंचायत के वार्ड संख्या 19 के पुरनी सरैया से फतेहपुर पईन तक नाला निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय की स्थापना करना

*368. श्री सुरेंद्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-01 वाल्मीकिनगर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वाल्मीकिनगर विधान सभा क्षेत्र एक सुदूर सीमावर्ती और कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ के युवाओं को उच्च कृषि शिक्षा के लिए जिले से बाहर या अन्य राज्यों में जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और स्थानीय युवाओं को कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए नए कृषि महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजलापूर्ति योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुँचाने के संबंध में

*369. श्री मौसरीक मृणाल (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के वारिसनगर, शिवाजीनगर तथा खानपुर प्रखंड में बिजली बिल बकाया, सप्लाई पाइप के क्षतिग्रस्त होने से पानी टंकी के फटने की वजह से आबादी के अत्यधिक दूरी रहने की वजह से तथा अनेकों जगह बिजली पम्प लगा पानी लेने की वजह से जलापूर्ति योजना का लाभ सभी घरों में ठीक तरह से नहीं दिलाया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त समस्याओं का निराकरण करते हुए योजनाओं का लाभ हर घर तक निर्बाध रूप से पेयजलापूर्ति पहुँचाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल योजनाओं की स्थापना

*370. श्री रोमित कुमार (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिलान्तर्गत अतरी विधान सभा क्षेत्र के मोहड़ा एवं बथानी प्रखंड के पहाड़ी एवं सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर ग्राम-पथरकट्ठी, सत्यनारायणपुर सहित अनेक गांवों में गर्मी के दिनों में भू-जलस्तर 400 से 500 फीट तक नीचे चले जाने के कारण भीषण पेयजल संकट उत्पन्न हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों के गांवों, विशेषकर ग्राम-पथरकट्ठी, सत्यनारायणपुर सहित प्रत्येक प्रभावित पंचायत में जलमीनार एवं आवश्यक पेयजल योजनाओं की स्थापना कर स्थायी पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा बहाल करना

*371. श्री राहुल कुमार (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत अंचल कार्यालय, रतनी फरीदपुर के अंतर्गत नारायणपुर पंचायत, सिकंदरपुर पंचायत, मुरहरा एवं रतनी पंचायत के विभिन्न मौजा जैसे मानपुर (229), विशुनपुर (234), सरैया बाजार (231), रामपुर (232), पवतयामा (233), गविमापुर (227), भगवानपुर (213), मुगीयाचक (176), रुस्तमचक (181) तथा हरना खास (174) में विगत 8 माह से ऑनलाइन म्यूटेशन आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए ऑनलाइन म्यूटेशन आवेदन की सुविधा कबतक बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु अस्पताल खोलना

*372. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के पिपरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सुपौल प्रखंड के ग्राम पंचायत अमहा में पशु अस्पताल नहीं रहने के कारण इस क्षेत्र के पशुपालकों को अपने मवेशियों की स्वास्थ्य जाँच तथा इलाज कराने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पंचायत के ग्राम-अम्हा में प्रथमवर्गीय या अन्य पशु अस्पताल खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कृषि अनुदान के संबंध में

*373. श्रीमती कोमल सिंह (क्षेत्र संख्या-88 गायघाट)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट प्रखंड में पिछले वर्ष बागमती नदी से आये बाढ़ के कारण किसानों का फसल डूब जाने तथा अन्य जगह पर विस्थापित हो जाने के कारण किसानों को आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से काफी क्षति हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा बाढ़ या अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए कृषि इनपुट अनुदान का प्रावधान है परंतु प्रभावित किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है जिससे किसान आर्थिक तंगी में जीने को मजबूर हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्चस्तरीय जाँच कर प्रभावित किसानों को नियमानुसार कृषि इनपुट का अनुदान देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजनाओं का निर्माण कराना

*374. डॉ. रामानन्द यादव (क्षेत्र संख्या-185 फतुहा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में जिलाधिकारी, पटना के पत्रांक 1978, दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के द्वारा मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2025 को पटना नगर निगम के वार्ड नं० 44, खेमनीचक एवं वार्ड नं० 46, आशोचक में विकास हेतु कई योजनाओं की अनुशंसा सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना एवं जिलाधिकारी, पटना को किया गया था लेकिन अभीतक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गई, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्डों में अनुशंसित योजनाओं के निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल-निकासी हेतु स्थायी समाधान करना

*375. श्री अरुण कुमार (क्षेत्र संख्या-180 बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला अंतर्गत बख्तियारपुर नगर परिषद् के बेलथान एवं माधोपुर वार्डों में जल-निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम में व्यापक जल-जमाव होता है तथा आम जनजीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार एवं आवागमन बुरी तरह प्रभावित होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बख्तियारपुर नगर क्षेत्र में सीवरेज हेतु (एस०टी०पी०) सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित एवं संचालित है, किन्तु आजतक बेलथान एवं माधोपुर क्षेत्रों को उक्त एस०टी०पी० एवं सीवरेज नेटवर्क से नहीं जोड़ा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बख्तियारपुर एवं खुसरुपुर नगर क्षेत्रों की जल-निकासी समस्या के स्थायी समाधान हेतु एस०टी०पी० नेटवर्क विस्तार, नाला निर्माण, सीवरेज कनेक्टिविटी एवं समग्र ड्रेनेज योजना को कबतक स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने हेतु

*376. श्रीमती संगीता देवी (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अंतर्गत बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र में यूरिया डी०ए०पी० (DAP) तथा पोटाश जैसे रासायनिक उर्वरकों की व्यापक रूप से कालाबाजारी एवं निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बिक्री की जा रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों को समय पर एवं उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने तथा कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डेयरी का प्लांट स्थापित करना

*377. श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला में दुग्ध उत्पादक गाय एवं भैंस पालकर काफी मात्रा में दुग्ध उत्पादन करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला में दुग्ध डेयरी का प्लांट नहीं रहने के कारण नवादा जिला का दुग्ध शीतलीकरण कर गयाजी या नालंदा डेयरी को भेजा जाता है, जिसके कारण दुग्ध उत्पादकों को दुध की सही कीमत नहीं मिल पाती है, जबकि प्रखण्ड वारिसलीगंज में दुग्ध डेयरी बनाने के लिए बिहार सरकार की भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नवादा जिला के प्रखंड वारिसलीगंज में दुग्ध डेयरी का प्लांट स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नगर पंचायत का दर्जा देना

*378. श्री विष्णु देव पासवान (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिले के दरौली प्रखंड मुख्यालय की जनसंख्या, शहरी स्वरूप, व्यापारिक गतिविधियों एवं उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के आधार पर नगर पंचायत की पात्रता रखती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक दरौली प्रखंड मुख्यालय को नगर पंचायत का दर्जा देना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*379. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनु सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत डेहरी नगर में स्टेशन रोड के सामने मोहन बिगहा, न्यू एरिया होते हुयें पालीरोड तक जाने वाले नाला निर्माण हेतु पूर्व में कई बार निविदा (टेंडर) निकाला गया तथा इस मद में राशि की निकासी भी गई, किन्तु आजतक नाला निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है, जिसके कारण आस-पास के क्षेत्रों में जल-जमाव की समस्या है जिससे आम नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नाला का निर्माण कार्य को पूर्ण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैंड निर्माण कराना

*380. श्री पप्पु कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के कुर्था विधान सभा अंतर्गत कुर्था में बस स्टैंड नहीं है जबकि यहाँ पर आस-पास ही जमीन की उपलब्धता भी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक कुर्था में बस स्टैंड निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्तियों की जांच कराना

*381. श्रीमती सावित्री देवी (क्षेत्र संख्या-243 चकाई)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में विभिन्न आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से महाप्रबंधक स्तर के महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है, जो उक्त पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं सम्बंधित क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव की अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नियुक्तियों से पूर्व निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं, चयन प्रक्रिया, अनुभव प्रमाण-पत्रों तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों का विधिवत सत्यापन नहीं कराया गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों एवं संबंधित आउटसोर्सिंग एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सभी महाप्रबंधकों की नियुक्तियों की जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

किसानों को मुआवजा दिलाने हेतु

*382. श्री विजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला सहित सीमांचल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मखाने की खेती की जाती है, परन्तु जब फसल सुखाड़/बाढ़ के प्रकोप से नष्ट होता है तो सरकार की तरफ से किसानों को कोई सहायता राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है जबकि मखाना को छोड़कर अन्य फसलों का नुकसान होने पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत मुआवजा दी जाती है, यदि हाँ, तो सरकार मखाना के फसल क्षति होने पर किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यूरिया एवं डी०ए०पी० की आपूर्ति

*383. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल कृषि प्रधान जिला है जहाँ कि 90% आबादी कृषि पर निर्भर है, परन्तु यूरिया एवं डी०ए०पी० खाद की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण किसानों को प्रत्येक वर्ष अधिक कीमतों पर खाद खरीदनी पड़ती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जिलों में पर्याप्त यूरिया एवं डी०ए०पी० की आपूर्ति का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नल-जल योजना के संचालन के संबंध में

*384. श्री सुजीत कुमार (क्षेत्र संख्या-79 गौडाबौराम)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय के तहत "हर घर नल का जल" योजना के अंतर्गत सभी पंचायतों एवं वार्डों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है मगर इसके समुचित संरक्षण एवं हाउस कनेक्शन नहीं होने के कारण दरभंगा जिला अंतर्गत बिरौल प्रखंड के परड़ी पंचायत पी०एच०ई०डी० वार्ड 5 एवं 6 डुमरी पंचायत वार्ड 4 एवं 5 पाइप जीरो है एवं अन्य इसी तरह अपूर्ण है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक गौड़ाबौराम विधान सभा में सभी बंद पड़े नल-जल योजनाओं को पूर्ण करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*385. प्रो० नागेन्द्र राउत (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर प्रखंड के गोला रोड, सोनू मार्केट के नजदीक स्थित "राधे कृष्णा अपार्टमेंट" एक पूर्णरूपेण आवासीय भवन है, जिसमें आठ से दस परिवार आवासित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अपार्टमेंट में जमीन मालिक और बिल्डर द्वारा बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर का पार्किंग एरिया अवैध रूप से कब्जा करके कॉमर्शियल दुकान चलाया जा रहा है, जिस कारण से पार्किंग एरिया के कमी के कारण अपार्टमेंट के लोगों को काफी परेशानी होती है, जबकि बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर का सम्पूर्ण क्षेत्र पार्किंग घोषित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अपार्टमेंट से अवैध कॉमर्शियल दुकानों को हटाते हुए कब्जाधारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नल-जल योजना को चालू कराने हेतु

*386. श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 जुलाई, 2026 को प्रकाशित शीर्षक ''जिले के 926 वार्डों में नल-जल योजना ठप, चापाकल व अन्य स्रोतों पर निर्भर'' के आलोक में क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के 230 पंचायतों के 926 वार्डों में नल-जल योजना पूरी तरह से ठप रहने के कारण लोगों को इस भीषण गर्मी में पेयजल की किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के 21 वार्डों में नल-जल योजना अभी तक पूर्ण नहीं किया जा सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक 926 वार्डों में ठप एवं 21 वार्डों में अपूर्ण नल-जल योजना को चालू करने का विचार रखती है ?

क्षेत्रीय पदाधिकारियों पर कार्रवाई कराने हेतु

*387. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखंड मुख्यालय में निर्मित तरैया व्यापार मंडल का भवन का निर्माण प्राक्कलन के अनुसार गिट्टी, सिमेन्ट, सरिया, ईंट, बालू तथा अन्य सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है, जिसके कारण व्यापार मंडल का भवन का निर्माण गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक भवन निर्माण की गुणवत्ता की जाँच कराकर क्षेत्रीय पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बायपास रोड निर्माण कराना

*388. श्री उदय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के शेरघाटी के एन0एच0 02 से मोरहर नदी के किनारे से कठार ईस्मालपुर, गेन्दा बाग, समोद बाग, अमर सिंह बाग होते हुए बूढ़ी नदी एन0एच0 02 तक बायपास रोड नहीं होने से प्रतिदिन जाम लगता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक गयाजी जिला के शेरघाटी नगर परिषद् के एन0एच0 02 से मोरहर नदी के किनारे से कठार ईस्मालपुर, गेन्दा बाग, समोद बाग, अमर सिंह बाग होते हुए बूढ़ी नदी एन0एच0 02 तक बायपास रोड बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खाद्यान्न मुहैया कराने हेतु

*389. श्री भीषम प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' एवं 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत संचालित जन वितरण प्रणाली भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, जिसके तहत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह नि:शुल्क देय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत जीरादेई विधान सभा क्षेत्र में जन वितरण प्रणाली के सभी पात्र लाभुकों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न न देकर 4 किलोग्राम ही दिया जा रहा है साथ ही नया राशन कार्ड बनाने के नाम पर एम0ओ0 के द्वारा 2 से 3 हजार रुपया की अवैध वसूली की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के प्रत्येक पात्र लाभुक को 5 किलोग्राम खाद्यान्न कबतक मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि पर उद्योग लगवाने हेतु

*390. श्रीमती करिश्मा (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत परसा विधान सभा के प्रखंड दरियापुर, पंचायत हरिहरपुर में ग्राम हरिहरपुर कोठी में सैकड़ों एकड़ सरकारी भूमि परती पड़ी हुई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त भूमि पर उद्योग लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव से मुक्त कराने हेतु

*391. श्री अजीत कुमार (क्षेत्र संख्या-95 काँटी)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत काँटी प्रखंड के सदातपुर में एन0एच0 28 एवं दरभंगा फोरलेन पर रियायसी क्षेत्र में तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति सुधा डेहरी संचालित जिससे प्रतिवर्ष लाखों टन दूषित पानी निकलता है एवं सुधा डेयरी केन्द्र के इर्द-गिर्द 20 वर्षों से जल-जमाव हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में जल-जमाव होने से मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी तथा मुजफ्फरपुर से दरभंगा आने-जाने वाले यात्री एक किलोमीटर दूर से ही दुर्गंध से परेशान रहते हैं, एवं जल-जमाव से कृषि योग्य भूमि बेकार एवं किसानों को आर्थिक हानि उठना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दूषित पानी के स्थाई निकासी तथा खेती योग्य भूमि से जल-जमाव को मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विशेष आलू उत्पादन क्लस्टर विकसित करना

*392. श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव, सन्हौला एवं गोराडीह प्रखंडों की भूमि एवं जलवायु आलू उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल होने के बावजूद जिले की स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में आलू की आपूर्ति मुख्यतः उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों से करनी पड़ती है, यदि हाँ तो सरकार कबतक कहलगांव, सन्हौला एवं गोराडीह प्रखंडों में आलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार कृषि विश्वविद्यालय (BAU), सबौर तथा संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्रों (KVK), के तकनीकी मार्गदर्शन में विशेष आलू उत्पादन क्लस्टर (Special Potato Production Cluster) विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अंचल अधिकारी पर कार्रवाई करना

*393. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत अमौर अंचल के मौजा-ज्ञानडोभ, खाता नं0 402, खेसरा नं0 1111 एवं 1363, रकबा 05 एकड़ 65 डी0, जमाबंदी नं0 898/1बीटी एक्ट के तहत सोहराब पिता श्री बुद्धु एवं अन्य को भू-वापसी हुआ है जिसका अंचल अमीन अमौर द्वारा उक्त भूमि की मापी दिनांक 10 जनवरी, 2025 भू-मापी अभिलेख संख्या 151/2024-25 में शोहराब, पिता-बुद्धु एवं अन्य का दखल-कब्जा भी अपने रिपोर्ट में दर्शाया है लेकिन अंचल अधिकारी, अमौर अंचल अमीन की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर पूर्व से दखल जमीन पर ही बंदोबस्तधारियों को दखल देने में तुला हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नियम का पालन ना करने पर अंचल अधिकारी अमौर पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गौशाला की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना

*394. श्री रोहित पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1891 में स्थापित श्री गौशाला, भागलपुर की विभिन्न परिसंपतियों एवं भूमि जिनमें एम0 पी0 द्विवेदी रोड स्थित मुख्य द्वार, पश्चिमी प्रवेश द्वार टिकोरी (राजस्वग्राम) स्थित श्रीकृष्ण गौशाला तथा मौजा-सतघरा एवं मौजा-ईमामपुर, अंचल जगदीशपुर की भूमि शामिल है, पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करने से गौशाला के संचालन, आवागमन एवं गौवंश संरक्षण कार्य प्रभावित हो रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1995 में लैंड सीलिंग में गौशाला की लगभग 746 एकड़ दान प्राप्त भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया तथा गौशाला के उपयोग हेतु उपलब्ध लगभग 16 एकड़ भूमि पर भी अतिक्रमण होने के कारण पशुपालन विभाग से प्राप्त अनुदान के बावजूद बाउंड्रीवॉल का निर्माण नहीं हो पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार श्री गौशाला, भागलपुर की अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराते हुये अवरूद्ध मार्गों को पुन: चालू कराने तथा बाउंड्रीवॉल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी वाहन उपलब्ध कराना

*395. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में कार्यरत सप्लाई इंस्पेक्टर एवं मार्केटिंग ऑफिसर के द्वारा प्रखंड अंतर्गत सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण, एल0पी0जी0 वितरण प्रणाली में जमाखोरी, कालाबाजारी खाद्यान में मिलावट आदि को रोकने हेतु छापेमारी, उपभोगताओ को वास्तविक आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु लगातार प्रखंड भ्रमण करना पड़ता है, परंतु विभागीय वाहन नहीं होने से दायित्वों का निर्वाहन ससमय करने में कठिनाई होती है और इन्हें अपने निजी वाहन से क्षेत्र भ्रमण करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक आपूर्ति निरीक्षक को ससयम कार्य निष्पादन करने हेतु सरकारी वाहन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क चौड़ीकरण एवं PCC ढ़लाई के संबंध में।

*396. श्री गोपाल कुमार अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-53 ठाकुरगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत ठाकुरगंज की दो सड़कें क्रमश: हॉस्पिटल रोड से शिव मंदिर होते हुए मस्तान चौक तक एवं NH-327E फोरलेन पावर हाउस के चेंगमारी, चर्च होते हुए छेतल REO तक काफी व्यस्त रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों सड़क नगर पंचायत ठाकुरगंज की लाईफ लाइन है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथों का चौड़ीकरण एवं PCC ढ़लाई कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई करना

*397. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 502, दिनांक 10 फरवरी, 2026 के द्वारा अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ पटना को एन0एच0 30 सोरंगपुर से धाना कॉलोनी रोड, जगनपुरा चिपुरा रोड भाया त्रिदेव मंदिर रोड का सरकारी भूमि का सीमांकन हेतु पत्र भेजने के उपरांत भी आज-तक सड़क का सीमांकन नहीं होने से सड़क निर्माण में विलम्ब हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पथ में सरकारी भूमि का सीमांकन का आदेश देते हुए विलम्ब के लिए दोषी पर कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना

*398. श्री विनय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में बिहार राज्य के सभी प्रखंडों में शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) खोलने की बात कही गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत सोनपुर एवं दिघवारा प्रखंड बिहार के प्रमुख सब्जी/कृषि उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, लेकिन सरकारी शीतगृह का पूर्ण अभाव है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों में सरकारी शीतगृह बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन का पर्चा देने हेतु

*399. श्री संजीव चौरसिया (क्षेत्र संख्या-181 दीघा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2015-16 में जे0 पी0 सेतु निर्माण के क्रम में दीघा में बसे परिवारों को विस्थापित कर बिंद टोली में बसाया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि कैबिनेट में परित प्रस्ताव के अनुरूप उक्त परिवारों के लोगों को जमीन का पर्चा दिया जाना था लेकिन अभीतक इन परिवारों को जमीन का पर्चा नहीं दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिंद टोली में बसे परिवारों को जमीन का पर्चा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सम्राट अशोक भवन का निर्माण

*400. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतनलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक नगर परिषद् क्षेत्र में सम्राट अशोक भवन के निर्माण का निर्णय 2 वर्ष पूर्व लिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के पटोरी और ताजपुर नगर परिषद् क्षेत्र में अभी तक सम्राट अशोक भवन का निर्माण नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त नगर परिषद् क्षेत्र में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पैक्स चुनाव कराना

*401. श्री सिद्धार्थ पटेल (क्षेत्र संख्या-125 वैशाली)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्ये निर्वाचन प्राधिकार, पटना के पत्रांक-01-03/2015 खंड 1714, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 के आलोक में दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को चुनाव सम्पन्न हुआ एवं उसके बाद कोई चुनाव नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत गोरौल प्रखंड के पीरापुर मथुरा पंचायत पैक्स का मतदाता सूची प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, गोरौल, निर्वाचन पदाधिकारी, गोरौल-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी गोरौल एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली के संयुक्त हस्ताक्षर से तैयार किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वैशाली जिलान्तर्गत गोरौल प्रखंड के पीरापुर मथुरा पंचायत पैक्स चुनाव उक्त तैयार मतदाता सूची के आलोक में कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भू-अभिलेख जिला अभिलेखागार एवं ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराना

*402. मो0 आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के अररिया अंचल अन्तर्गत थाना नं0-199 मौजा-हृदयपुर का खतियान भू-अभिलेख के पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मौजा का भू-अभिलेख खतियान का मूल दस्तावेज भी जिला अभिलेखागार एवं अंचल कार्यालय अररिया में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण भू-धारी को कागजात लेने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भू-अभिलेख खतियान का मूल दस्तावेज जिला अभिलेखागार एवं ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करने के संबंध में

*403. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अंतर्गत नगर पंचायत चेनारी में बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (बुडको) द्वारा इंद्रा चौक से चेनारी थाना तक निर्माणाधीन सड़क एवं नाला निर्माण कार्य की प्रगति काफी धीमी है तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी असंतोषजनक हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर पंचायत चेनारी के वार्ड संख्या-6 में सुदर्शन चौक से पेवनदी कुटिया तक नाला निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरती गई है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त दोनों निर्माण कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी संवेदक एवं बुडको के संबंधित अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पोखर का सौन्दर्यीकरण

*404. श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के विधान सभा क्षेत्र सुगौली अन्तर्गत नगर पंचायत सुगौली में वार्ड नं0-03 पाण्डेय टोला सरकारी पोखरा है, जिसका सौन्दर्यीकरण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पोखर का सौन्दर्यीकरण कार्य राज्य योजना मद की राशि से कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बंदोबस्त/बासगीत पर्चा निर्गत कराना

*405. श्री कलाधर प्रसाद मंडल (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिला अंतर्गत रूपौली विधान सभा के ग्रामीण इलाकों में वैसे भूमिहीन परिवार हैं, जो दशकों से सरकारी भूमि एवं रैयति भूमि पर बसे हुए हैं एवं उनका बंदोबस्त नहीं किया गया और न ही उन्हें अन्यत्र जमीन पर बासगीत पर्चा निर्गत किया गया, जबकि बिहार प्रिविलेज्ड पर्सन्स होम स्ट्रीड टेनेंसी ऐक्ट 1947 के अनुसार भू-स्वामियों को रैयती जमीन पर बसे भूमिहीनों तथा प्रवर्तित स्वरूप वाले भूमि बसावटों को बदोंबस्तीकरण किए जाने का प्रावधानें है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त भूमिहीन परिवारों को सरकारी जमीन अथवा परिवर्तित स्वरूप वाली जमीन पर बसे हुए को उक्त जमीन का बंदोबस्त या बासगीत पर्चा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण कराना

*406. श्री केदार नाथ सिंह (क्षेत्र संख्या-115 बनियापुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के अररिया नगर परिषद् वार्ड नं0-07 में अररिया रानीगंज पथ से अररिया कॉलेज एवं स्टेडियम के पीछे होते हुए ए0 पी0 एस0 स्कूल जाने वाली सड़क नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क के निर्माण के लिए प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अन्तर्गत जिला पदाधिकारी अररिया के पत्रंक 339/24, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 द्वारा पत्र लिखा जा चुका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उर्वरक वितरण के संबंध में

*407. श्री अभिषेक रंजन (क्षेत्र संख्या-07 चनपटिया) -क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत चनपटिया विधान सभा क्षेत्र में सरकारी अभिलेखों के अनुसार पर्याप्त मात्रा में यूरिया एवं अन्य उर्वरकों को स्टॉक उपलब्ध रहने के बावजूद किसानों को समय पर एवं आवश्यकतानुसार उर्वरक प्राप्त नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मामले की जाँच कर दोषी उर्वरक विक्रेताओं एवं संबंधित अधिकारियों को विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए किसानों को बिना बाधा के सरकारी निर्धारित दर पर आवश्यकतानुसार उर्वरक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, यदि नहीं, तो क्यों ?

परिसर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कराना

*408. श्रीमती छोटी कुमारी (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत छपरा विधान सभा क्षेत्र की साढ़ा पंचायत के ग्राम प्रभुनाथ नगर एवं साढ़ा में हाउसिंग बोर्ड की भूमि एवं आवासीय परिसर पिछले कई दशकों से जर्जर एवं उपेक्षित अवस्था में पड़े हुए हैं जिसके कारण स्थानीय बच्चों, युवाओं एवं बुजुर्गों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा सरकरी संपत्ति भी अनुपयोगी बनी हुई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त परिसर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जवाबदेही सुनिश्चित कराना

*409. डॉ0 प्रकाश चंद्र (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में बड़ी संख्या में ऐसी कृषि एवं गैर-मजरूआ भूमि है, जिनकी खतियानी प्रविष्टियाँ 35 वर्ष अथवा उससे अधिक पुरानी हैं अथवा जिनका 50 वर्षों से अधिक समय से दखल-कब्जा है तथा जिनकी एकाधिक बार विधिसम्मत खरीद-बिक्री होने के बावजूद स्पष्ट विभागीय दिशा-निर्देशों के आभाव में ऑनलाइन दाखिल-खारिज, नामांतरण एवं जमाबंदी अद्यतन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण गरीब एवं जरूरतमंद नागरिक बीमारी, विवाह, शिक्षा, ऋण अथवा अन्य आवश्यक परिस्थितियों में अपनी भूमि का वैध क्रय-विक्रय नहीं कर पा रहे हैं तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों की भिन्न-भिन्न व्याख्या से अनावश्यक विलंब हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार ऐसे मामलों के लिए एक समान मानक दिशा-निर्देश (SOP) जारी करने, राजस्व पदाधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देने तथा समयबद्ध निष्पादन एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बोरिंगों की तकनीकी मरम्मत कराने हेतु

*410. श्री संजय कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-03 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में हर घर नल का जल योजना'' के तहत निर्मित अधिकांश पानी टंकियों व मोटर पंपों के खराब होने से वर्तमान में जलापूर्ति अधिकांश जगह बाधित व ठप पड़ी है, जिससे आमजनता को शुद्ध पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पंचायती राज विभाग के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (P.H.E.D.) को इस योजना के हस्तांतरण के बाद भी स्थानीय स्तर पर तकनीकी मरम्मत और देख-रेख की मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो सकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नरकटियागंज विधान सभा क्षेत्र में बंद पड़ी सभी पानी टंकियों, नलों व बोरिंगों की तकनीकी मरम्मत कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक ?

पार्क का सैंदर्यीकरण कराने हेतु

*411. श्री आलोक कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अंतर्गत नगर पंचायत दिनारा के वार्ड नं-1 में स्थित सरदार बल्लभ भाई पटेल पार्क का सौंदर्यीकरण नहीं होने से नगर पंचायत वासियों को अनेकों सुविधाएं को लाभ नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पार्क का सौंदर्यीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान की राशि देना

*412. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत विभाग द्वारा किसानों को धान बीज बायों -799 और मक्का बीज डीएचएम-206 दिया जाता है, जबकि किसान धान में पायोनियर-27च् 37, रबी में मोंसेंटों-9081 और पायोनियर-3522 मक्का का बीज लगाते हैं तथा गेहूँ के सीजन में श्रीराम-303, माइकों का गोल या जे०के०कम्पनी का बीज लगाते हैं, जो 100-115 दिन में तैयार होता है, ऊपज 30-35-क्विंटल/एकड़ देता है, जबकि सरकारी बीज में समय ज्यादा और ऊपज 15-क्वींटल प्रति एकड़ से भी कम होता है, जिसके कारण किसानों को सरकारी बीज पर भरोसा नहीं है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों को अपनी स्वेच्छानुसार बीज को लगाने एवं स्थानीय बाजार सें खरीद-रसीद पर अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बकाया राशि की भुगतान कराना

*413. श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार में पैक्सों द्वारा राज्य खाद्य निगम को जो चावल की आपूर्ति की जा रही है उसका भुगतान तीन महीने से नहीं हुआ है एवं उसका ब्याज पैक्स द्वारा कोऑपरेटिव बैंक को देना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ब्याज सहित चावल आपूर्ति की बकाया राशि की भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यो ?

चापाकल की व्यवस्था कराने हेतु

*414. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत खजौली प्रखंड के चतरा पंचायत गोलड़ौरा के दक्षिण वार्ड नं० 3,4 एवं 6 में विगत एक वर्ष से नल का जल बन्द पड़े रहने से ग्रामीणों को बहुत ही परेशानी हो रही है तथा स्वच्छ पीने का जल सुदूरवर्ती क्षेत्रों से ढोकर लाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वार्डों में शुद्ध पेयजल हेतु चापाकल की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण कराना

*415. श्री राधाचरण साह (क्षेत्र संख्या-192 संदेश)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के कोइलवर नगर पंचायत अंतर्गत कोइलवर कपिलदेव चौक से अयूब मास्टर के घर होते हुए अब्दुल बारी पुल सोन के कछार तक नाला के अभाव में साल भर जल-जमाव रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संवैधानिक मान्यता दिलाना

*416. श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-80 बेनीपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पैतृक संपत्ति का बंटवारा सदभावनापूर्वक नहीं होने से भूमि विवाद की समस्या उत्पन्न हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक हिस्सेदारों के बीच सहमति के आधार पर हुए बंटवारा को संवैधानिक मान्यता दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विधि-सम्मत कार्रवाई करना

*417. श्री बैद्यनाथ प्रसाद (क्षेत्र संख्या-23 रीगा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला में अवस्थित राज्य खाद्य निगम के गोदामों से सड़े-गले चावल 42 से 45 किलोग्राम की बोरियों में जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को आपूर्ति की जा रही है,जिसके संबंध में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना उपलब्ध कराए जाने के बावजूद इस संबंध मे कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल की मरम्मती कराना

*418. श्री उपेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-225 गुरुआ)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिलान्तर्गत गुरुआ प्रखंड के पंचायत पकरी के ग्राम-आजाद बिगहा एवं तारापुर सहित गुरुआ विधान सभा क्षेत्र के अनेको गांव में चापाकल खराब है, जिससे पेयजल मिलने में ग्रामीणों को असुविधा हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक खराब पड़े चापाकल को सर्वेकराकर ठीक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई करने हेतु

*419. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया (अ०जा०))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के फतेहपुर प्रखंड में छूटे हुए बसावटों में नल जल की नई योजना का कार्य कराया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग के पदाधिकारियों और कार्य एजेन्सी की मिलभगत से फतेहपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत नौडिहा झुरांग के वार्ड नं० 1ए, वार्ड नं० 4-ए, 4-2, 4-3 तथा दक्षिणी लोधवे के वार्ड नं० 2सी-1, 3ए-1 सहित कई पंचायत में मानक के अनुरूप बोरिंग और पाइप लाइन का कार्य नहीं किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त निर्माण कार्यों की उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*420. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पूर्णियाँ विधान सभा क्षेत्र के नगर निगम वार्ड संख्या 04 में कारी कोसी नदी पर जिला प्रशासन एवं नगर निगम की मिलीभगत से एक अवैध पक्के पुल का निर्माण कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि लगभग छः महीने पूर्व से निर्माण अवधि के उपरांत भी अवैध पुल की अबतक न तो जांच की गई है न ही उसे ध्वस्त किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि पुल के अवैध निर्माण की चर्चा जिला के बीस सूत्री की बैठक में जिला प्रभारी मंत्री से समक्ष की गई है ;

(4) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुल की उच्चस्तरीय जाँच कराकर पुल निर्माण में संलिप्त अधिकारियों एवं निर्माणकर्ता पर कठोर कार्रवाई करते हुए पुल को ध्वस्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*421. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत ग्राम पंचायत हरिहरपुर पूर्वी (दरभंगा) के हरिहरपुर टोला मालपट्टी स्थित श्मशान घाट के सीमांकन (मापी) और चहारदीवारी निर्माण के संबंध में पत्रांक 3170/जि०प्र० दिनांक 19 अगस्त, 2023 द्वारा आदेश जारी किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त श्मशान भूमि पर कुछ असामाजिक तत्वों या विशेष समुदाय द्वारा रैयती भूमि का दावा कर शवदाह करने से रोका जा रहा है, जिससे वहाँ सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्थानीय प्रशासन (अंचल अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी) की लापरवाही और विभागीय आदेश की अनदेखी पर संज्ञान लेते हुए उक्त श्मशान भूमि का अविलंब सीमांकन कराने तथा चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पोखर को विकसित करना

*422. श्री भरत बिन्द (क्षेत्र संख्या-205 भभुआ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के भभुआ शहर के मध्य में अवस्थित चमन लाल का पोखरा में कचरा भरे होने के कारण शहर का वातावरण दूषित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक चमन लाल के पोखरे को मिथिला हाट, झंझारपुर की तरह विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना मेट्रो रेल डिपो का निर्माण

*423. श्री रत्नेश कुमार (क्षेत्र संख्या-184 पटना साहिब)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना मेट्रो रेल डिपो निर्माण हेतु मौजा-रानीपुर, थाना नं० 01/19 के अन्तर्गत कुल-0.59 एकड़ भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2021-22 में ही किया गया था, जिसका भुगतान अभीतक लंबित हैं जबकि रैतयों द्वारा जिला भू-अर्जन कार्यालय को वांछित कागजात ससमय उपलब्ध कराया जा चुका है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त रैयतों को अधिगृहित भूमि का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमला नदी पर आयोजित मेला को राजकीय मेला घोषित करना

*424. श्री राजेश कुमार मंडल (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिले के सदर प्रखण्ड अन्तर्गत गौसाघाट कमला नदी तट पर प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमा एवं कार्तिक पूर्णिमा में तीन दिवसीय मेला सैकड़ों वर्ष से लगता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि निःसंतान दम्पत्ति को उस मेले में कमला स्नान करने से संतान की उत्पति होने की प्राचीन मान्यता होने के कारण दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णियाँ प्रमण्डलों के साथ-साथ नेपाल के श्रद्धालु आते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गौसाघाट के मेला को राजकीय मेला घोषित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राजस्व अधिकारी पर कार्रवाई करना

*425. श्रीमती बेबी कुमारी (क्षेत्र संख्या-91 बोचहां (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्रांक Res/116/26, दिनांक 9 मार्च, 2026 द्वारा मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी अंचल के राजस्व अधिकारी द्वारा दाखिल-खारिज वादों (जैसे वाद संख्या 7991/25-26, 9418/25-26, खाता संख्या 72, खेसरा संख्या 191 आदि में अवैध वसूली तथा मनमाने ढंग से वादों को निरस्त करने की गंभीर शिकायतें जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त राजस्व अधिकारी द्वारा जानबूझकर आमजनता के दाखिल-खारिज वादों को लंबित रखा जाता है तथा शिकायतकर्ताओं के साथ अंचल कार्यालय में दुर्व्यवहार एवं मारपीट की जाती है, जिसके कारण स्थानीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त राजस्व अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*426. श्री बशिष्ठ सिंह (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत नगर पंचायत, कोचस के वार्ड संख्या 10 एवं 11 के मध्य तथा कब्रिस्तान के बगल से पावर सब-स्टेशन तक नाला जाम रहता है, जिससे क्षेत्र में जल-जमाव की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नाले का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नल-जल योजना का लाभ देना

*427. श्री राजेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-137 मोहिउद्दीननगर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि 137 मोहिउद्दीननगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कई बसावटें अभी भी नल-जल योजना से वंचित है तथा वहां के निवासी आर्सेनिक युक्त जल का उपयोग करने को विवश हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त समस्या का निदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बिस्कोमान गोदाम भवन का पुनर्निर्माण करवाना

*428. श्री वीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिलान्तर्गत वजीरगंज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वजीरगंज प्रखंड में स्थित बिस्कोमान गोदाम भवन को एन०एच० पथ निर्माण के दौरान तोड़ दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गोदाम भवन को तोड़े जाने के बाद आजतक उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाया गया है, जिसके कारण प्रखण्ड के किसानों को खाद, बीज एवं अनाज भंडारण में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बिस्कोमान गोदाम भवन का पुनर्निर्माण करवाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन के बदले जमीन सहित मुआवजा देने हेतु

*429. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी अंचल के मोसादपुर पंचायत के ढौली मौजा में चार अति पिछड़ा परिवार को 1985-86 में पर्चा दी गयी कि उक्त पर्चा की जमीन पर 40 साल से घर बनाकर रह रहे परिवार को जिला प्रशासन ने उजाड़ दिया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक प्रभावित परिवार को जमीन के बदले जमीन सहित मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पथ का निर्माण कराना

*430. श्री सियाराम सिंह (क्षेत्र संख्या-179 बाढ़)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बाढ़ अनुमंडल स्थित बाढ़ नगर परिषद् कार्यालय से बनारसी घाट वाया गोला रोड तक का पथ अत्यन्त जर्जर है जिससे आमजनता एवं व्यवसायियों का आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त जर्जर पथ का आर०सी०सी० नाला सहित निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना

*431. डॉ० सुनील कुमार (क्षेत्र संख्या-172 बिहारशरीफ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत पटना नगर निगम के वार्ड संख्या 28 में डॉ० गुहा जेवी दास लेन से नर्मदा अपार्टमेंट होते हुये गगन अपार्टमेंट एक्जीबिशन रोड तक नाला एवं पी०सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य हेतु लगभग 83 लाख रुपये की राशि स्वीकृति की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नाला एवं पी०सी०सी० सड़क का निर्माण हेतु घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त निर्मित नाला एवं पी०सी०सी० सड़क का एन०आई०टी० जांच कराने एवं जाँचोपरान्त दोषी संवेदक एवं पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्युत् शवदाह गृह का निर्माण हेतु

*432. श्री सुभाष सिंह (क्षेत्र संख्या-101 गोपालगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला अन्तर्गत गंडक नदी के राजवाही घाट माशानथाना घाट, दाहा नदी (बाग गंगा) के इटवा पुल घाट (लक्षवार-थावे) राजघाट (उचकागांव) सारण नहर के तुरकाहा पुल (गोपालगंज) में बड़ी संख्या में प्रतिदिन शवों का दाह-संस्कार होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मेरे द्वारा पत्रांक 84, दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 के द्वारा संबंधित विभाग को पत्र लिखकर वर्णित स्थलों पर विद्युत् शवदाह गृह निर्माण के लिये अनुरोध किया गया था, जिसपर कार्रवाई अपेक्षित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थलों पर विद्युत् शवदाह गृह का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिफॉल्ट पैक्सों को पुनः क्रियाशील बनाना

*433. श्री रूहेल रंजन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिले के इस्लामपुर प्रखंड अन्तर्गत एकोस पंचायत पैक्स काफी समय से डिफॉल्ट की स्थिति में है तथा उसका कार्य संडा पैक्स द्वारा किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एकंगरसराय एवं इस्लामपुर प्रखंडों के कई पैक्स डिफॉल्ट की स्थिति में है, जिसके कारण किसानों को धान एवं गेंहू की अधिप्राप्ति, उर्वरक उपलब्धता, ऋण तथा अन्य सहकारी सेवाओं का समय पर लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डिफॉल्ट पैक्सों को पुनः क्रियाशील बनाने तथा किसानों को उनके क्षेत्र के पैक्स के माध्यम से सभी सहकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराना

*434. श्री माधव आनंद (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के जमसम, भवानीपुर एवं मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में स्थापित जलमीनार (ओवरहेड वाटर टैंक) पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं हो रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं मिल पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जमसम, भवानीपुर एवं मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के सभी जलमीनारों को शीघ्र चालू कर नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सकों की पदस्थापन

*435. श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान जिला में जिला पशुपालन पदाधिकारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त) का पद वर्तमान में रिक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के प्रखंड गोरेयाकोठी एवं बसंतपुर सहित अन्य 27 स्थानों पर प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सा पदाधिकारियों का पद रिक्त होने के कारण पशुपालकों को पशुओं के इलाज में घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त रिक्त पदों पर प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सकों को पदस्थापन कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रैयतों को अधिकार प्रदान कराना

*436. श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत घोसी सहित सभी प्रखंडों में बड़ी संख्या में ऐसी बकाश्त भूमि है, जिसपर रैयत जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से निरंतर काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु आज भी अभिलेख संशोधन, दाखिल-खारिज, परिमार्जन एवं स्वामित्व अधिकार की विधिवत मान्यता के अभाव में उन्हें न्याय पाने हेतु राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, यदि हाँ, तो कबतक सरकार वास्तविक काबिज रैयतों को विधिसम्मत अधिकार प्रदान करने हेतु विशेष अभियान चलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नल जल की सुविधा देना

*437. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिलान्तर्गत टिकारी व कोंच प्रखंड के सैकड़ों वार्ड में आज भी नल-जल चालू नहीं है, प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा दिशा के बैठक में जिला पदाधिकारी व पी०एच०ई०डी० अधिकारियों को शिकायत से अवगत कराने के बाद भी नल-जल चालू नहीं हुआ, यदि हाँ, तो सरकार कबतक टीम गठित कर उक्त वार्ड में नल-जल संकट दूर करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नालों का निर्माण

*438. श्री राकेश रंजन (क्षेत्र संख्या-198 शाहपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बिहिया नगर परिषद् क्षेत्र में जल-निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण हल्की बारिश में भी मुख्य बाजार, राजा बाजार, स्टेशन रोड, ब्लॉक रोड सहित दर्जनों वार्डों में जल-जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे हजारों की आबादी नारकीय जीवन जीने को विवश हैं, यदि हाँ, तो सरकार बिहिया नगर परिषद् क्षेत्र में मास्टर ड्रेनेज प्लान को अविलम्ब प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर मुख्य नालों और आँउटफॉल नालों का निर्माण कार्य कबतक शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गोदाम का जीर्णोद्धार कराना

*439. श्रीमती निशा सिंह (क्षेत्र संख्या-66 प्राणपुर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत प्राणपुर प्रखंड मुख्यालय के समीप वर्ष 2012 में निर्मित 500 MT क्षमता वाला सरकारी गोदाम, जिसका उपयोग सरकारी अनाज रखने तथा स्थानीय जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को अनाज देने के लिए किया जाता था, निर्माण कार्य में गड़बड़ी एवं विभागीय लापरवाही के कारण खंडहर बनकर रह गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त गोदाम का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डेयरी उद्योग स्थापना कराना

*440. श्री बबलू कुमार (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, डेयरी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला कृषि एवं पशुपालन प्रधान जिला होने के बावजूद यहाँ उत्पादित दूध का प्रसंस्करण बेगूसराय स्थित बरौनी सुधा डेयरी में किया जाता है, जिससे स्थानीय पशुपालकों को अतिरिक्त परिवहन लागत वहन करनी पड़ती है तथा जिले में दुग्ध आधारित उद्योग एवं रोजगार का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार खगड़िया जिले के मानसी फूड पार्क परिसर में उपलब्ध भूमि पर एक अत्याधुनिक डेयरी उद्योग की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना

*441. श्री कुमार प्रणय (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार नल-जल योजना अन्तर्गत राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत वार्ड नं० 09 स्थित कल्याण टोला तथा अनुसूचित जाति कल्याण टोला में पिछले 2 वर्षों से नल-जल योजना के तहत होने वाली जलापूर्ति पूर्णतः बंद होने के कारण लोगों को पीने के पानी के संकट से लगातार जूझना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त क्षेत्र में कबतक नल-जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डेयरी चिलिंग सेंटर लगाने हेतु

*442. श्री इन्द्रदेव सिंह (क्षेत्र संख्या-110 बड़हरिया)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत प्रखंड पचरुखी एवं बड़हरिया में दूध उत्पादन रिटेलर (डेयरी) और चिलिंग सेंटर नहीं रहने से प्रखंड के पशुपालकों एवं उपभोक्ताओं को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों में डेयरी चिलिंग सेंटर उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कृषि विज्ञान केन्द्र में प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण कराना

*443. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना के पत्रांक 07/विविध मि०जाँ०प्रयो० 27/2022/1493, दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, जाले में 100 किसानों की क्षमता वाले प्रशिक्षण कक्ष (उपस्कर सहित) के निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता एवं विस्तृत प्राक्कलन की मांग की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पत्र के आलोक में कृषि विज्ञान केन्द्र, जाले द्वारा राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त कर अपने पत्रांक 330/KVK/Darbhanga, दिनांक 27 जनवरी, 2024 के माध्यम से भूमि उपलब्धता एवं विस्तृत प्राक्कलन संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना को उपलब्ध करा दिया था ;

(3) यदि हाँ, तो सरकार कबतक कृषि विज्ञान केन्द्र, जाले में नियमित रूप से आयोजित होने वाले किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 100 किसानों की क्षमता वाले प्रशिक्षण कक्ष (उपस्कर सहित) के निर्माण की स्वीकृति एवं निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच के संबंध में

*444. श्री शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-97 पारू)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सरैया नगर पंचायत में जिस एजेंसी को नगर पंचायत की साफ-सफाई का टेंडर दिया गया है उसे नियमानुसार वेंडर को प्रतिदिन 108 मजदूरों के साथ नगर की मुकम्मल सफाई का कार्य करना है, परंतु प्रतिदिन मात्र 25 से 30 सफाई कर्मी ही काम पर लगाए जा रहे हैं, जो कि वित्तीय अनियमितता और नियमों को खुला उल्लंघन है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इस गंभीर लापरवाही और सरकारी राशि के दुरुपयोग का उच्चस्तरीय जाँच कराने तथा दोषी वेंडर और इसमें मिले पदाधिकारी के खिलाफ उचित दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*445. श्री नितेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा विधान सभा क्षेत्र के जलालगढ़ बाजार में ठाकुरबाड़ी मंदिर चौक से बस स्टैंड चौक तक (लगभग 300 फीट) सड़क एवं नाला तथा ठाकुरबाड़ी मंदिर चौक से मछली पट्टी तक (लगभग 300 फीट) नाला तथा कृत्यानंद नगर के चंपानगर में चंपानगर बाजार से चंपानगर थाना (मरा धार किनारे) तक एवं रामनगर मुख्य सड़क (मरहना धार) से श्रीरेन महालदार से घर तक पक्की नाला का निर्माण नहीं होने से जल-जमाव की समस्या बनी रहती है जिससे नागरिकों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों क्षेत्रों में पक्की नाला एवं सड़क निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल लगवाना

*446. मो० फैसल रहमान (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के ढाका विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ढाका एवं घोड़ासहन प्रखंड में संचालित हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत कई स्थानों पर स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं कराया जा रहा है, जिससे योजना की गुणवत्ता एवं उद्देश्य प्रभावित हो रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि क्षेत्र में लगातार गिरते भू-जल स्तर के कारण पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है तथा उनेक वार्डों में सार्वजनिक चापाकलों की संख्या अपर्याप्त है, जिससे आम नागरिकों को पेयजल के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त योजना की उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषी अधिकारियों एवं संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा प्रत्येक वार्ड में आवश्यकतानुसार सार्वजनिक चापाकलों की स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला निर्माण हेतु स्वीकृति देना

*447. श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-223 औरंगाबाद)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद नगर परिषद् एवं ऐतिहासिक 'देव' नगर पंचायत में प्राकृतिक जल निकासी अवरुद्ध होने से प्रतिवर्ष भीषण जल-जमाव होता है, जिससे जनता को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार औरंगाबाद नगर व देव क्षेत्र हेतु बुडको के माध्यम से 'ड्रेनेज मास्टर प्लान' के तहत मुख्य संप नाला निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुये कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*448. श्री अनिल सिंह (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर अंचल के हाजीपुर नगर परिषद् (2) के श्री राजकुमार पिता-रामनगीना दास के खाता सं० 380, खेसरा सं० 199 में 2 कट्ठा 10 धुर जमीन के कुछ भाग में श्रीमती गीता देवी एवं श्रीमती गूंजा देवी द्वारा वर्ष 2014 से जबरन कब्जा कर लिया गया है, जबकि ऑनलाइन लगान पूर्व से खाताधारी के नाम से कट रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त खाता खेसरा के जमीन को कब्जा से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*449. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत पकड़ीदयाल प्रखंड के सिसहनी पंचायत के सिसहनी निवासी श्री विश्वनाथ मुखिया, पूर्व सरपंच के घर से बाजार चौक होते हुए सिसहनी हाई स्कूल 1.5 कि०मी० तक नाले एवं मुख्य सड़क पर स्थानीय ग्रामीण रेखा मुखिया, भोला सिंह, श्री भगवान दास, नथुनी सहा, किशोरी सिंह सहित सैकड़ों लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है जिससे आमजन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कानूनी कार्रवाई

*450. श्री सम्रीद वर्मा (क्षेत्र संख्या-09 सिकटा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारत-नेपाल सीमावर्ती सिकटा प्रखंड स्थित ऐतिहासिक 'दुतहा मठ' के स्वामित्व वाली सैकड़ों एकड़ की कीमती सरकारी/धार्मिक भूमि का एक बड़ा हिस्सा भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमित किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्व के बजट सत्र में ध्यानाकर्षण के बावजूद स्थानीय प्रशासन द्वारा अबतक इस मठ की भूमि का न तो डिजिटल पैमाईश कराया गया है और न ही अतिक्रमणकारियों पर कोई कानूनी कार्रवाई हुई है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस अमूल्य धरोहर की रक्षा हेतु एक निश्चित समय-सीमा के भीतर विशेष मापी कराकर संपूर्ण भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक ?

कर्मियों को दण्डित करना

*451. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत प्रथम चार शहरों में से एक बिहारशरीफ शहर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत बिहारशरीफ शहर का मास्टर प्लान बनाकर ड्रेनेज सिस्टम, स्वच्छता, लाइटिंग एवं अन्य कार्य का कार्यारम्भ किया गया ;

(3) क्या यह बात सही है कि स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत बिहारशरीफ शहर के लिये आवंटित राशि का वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में व्यय नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये आवंटित राशि उपलब्ध नहीं कराई गई ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को चिन्हित करते हुये दण्डित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कोल्ड स्टोरेज का निर्माण

*452. श्री मुरारी पासवान (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ०जा०))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपैंती प्रखण्ड एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ 28 ग्राम पंचायतों एवं एक नगर पंचायत की बहुसंख्यक आबादी आजीविका के लिए पूर्णतः खेती पर निर्भर है तथा यहाँ हरी सब्जियों, आम, प्याज, आलू एवं हरी मिर्च का प्रमुख उत्पादन होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड में एक भी शीतगृह (Cold Storage) न होने के कारण प्रतिवर्ष भारी मात्रा में फल-सब्जियाँ सड़ जाती हैं, जिससे स्थानीय किसानों को गंभीर आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के इस बड़े नुकसान को रोकने तथा आर्थिक उत्थान हेतु पीरपैंती प्रखण्ड में एक आधुनिक शीतगृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*453. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला मुख्यालय अंतर्गत बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के बजरंग चौक से नायरा पेट्रोल पंप, तेलिया पोखर होते हुए रामदयाल मसकारा जी के घर तक जाने वाली सड़क जिसकी दूरी लगभग 1 कि०मी० है, अत्यंत जर्जर है, जिस कारण राहगीरों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा आये दिन दुर्घटना घटित होती रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जनहित में उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव से मुक्त करना

*454. श्री संजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के नगर परिषद् सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण हल्की बारिश में ही बाजार के प्रमुख 5-6 स्थानों पर भारी जल-जमाव हो जाता है, जिससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर परिषद्, सिमरी बख्तियारपुर में एक सुदृढ़ एवं स्थायी जल निकासी (ड्रेनेज) प्रणाली का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यूरिया उर्वरक (दानेदार) मुहैया कराने हेतु

*455. श्री अरुण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खरीफ एवं रबी फसलों के उपज को अत्यधिक सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया एवं डी०ए०पी० सहित अन्य उर्वरकों को उचित माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि यूरिया खाद (दानेदार) के साथ किसानों को नैनो यूरिया (लिक्यूड) भी अनिवार्य रूप से लेना जरूरी है, जबकि किसान नैनो यूरिया (लिक्यूड) नहीं लेना चाहते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसान हित में यूरिया (लिक्यूड) की अनिवार्यता बंद करके इसके स्थान पर यूरिया उर्वरक (दानेदार) मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क एवं नाला का निर्माण

*456. श्रीमती अश्वमेध देवी (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत समस्तीपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 26 में कालिका कम्प्लेक्स से नन्हे कदम स्कूल होते हुए बूढ़ी गंडक बांध तक सड़क जर्जर है तथा पक्का नाला नहीं होने से जल-जमाव की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पथ पर सड़क एवं नाला निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध जल प्रदान कराने हेतु

*457. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-05 लौरिया)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के लौरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत साठी, गोबरौरा, लौरिया मच्छरगावां, मटकोटा (फतेहपुर) तथा नवलपुर स्थित जलमीनार का पानी ग्रामीणों को प्राप्त नहीं होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जल बहाव हेतु लगे पाइप क्षतिग्रस्त हैं एवं वर्षों से उक्त जलमीनारों की सफाई नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जलमीनार की सफाई, क्षतिग्रस्त पाइप का बदलाव एवं पाइपों का विस्तार करते हुए आमजनों को शुद्ध जल प्रदान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गैर-मजरुआ मालिक एवं बकाश्त भूमि का विधिवत लगान निर्धारण

*458. श्री मनोज कुमार (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में अनेक 'गैर-मजरुआ मालिक' एवं बकाश्त भूमि का अबतक सुयोग्य रैयतों के नाम पर राजस्व प्रशासन द्वारा लगान निर्धारण नहीं किया जा सका है, जिससे प्रदेश के किसान एवं भू-धारी अत्यधिक परेशान हैं तथा उनमें असंतोष का भाव है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (BLR Act, 1950) में निहित प्रावधानों के आलोक में सुयोग्य श्रेणी के रैयतों के पक्ष में ऐसी गैर-मजरुआ मालिक एवं बकाश्त भूमि का विधिवत लगान निर्धारण/रैयतीकरण किया जाना था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक गैर-मजरुआ मालिक एवं बकाश्त भूमि का नियमत: रैयतों के नाम से लगान निर्धारण का कार्य पूर्ण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अध्यक्ष पद से हटाना

*459. श्रीमती रेणु देवी (क्षेत्र संख्या-08 बेतिया)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार सहकारी नियमावली, 1959 के नियम 23 (1) (9) के तहत कोई व्यक्ति दुग्ध संघ के समिति के सदस्य नहीं रहने पर दुग्ध संघ के अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जबकि श्री अजय कुमार, आरा जिला के शहाबाद दुग्ध संघ समिति के मार्च, 2024 से अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं, इस संबंध में आमजनता के द्वारा शिकायत होने पर बिहार स्टेट मिल्क कोपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पत्रांक 8757, दिनांक 26 अगस्त, 2025 द्वारा जांच में पाया गया कि दुग्ध समिति के सदस्य नहीं होने पर भी आजतक समिति अध्यक्ष बने हुए हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दुग्ध संघ समिति के अध्यक्ष पद से कबतक हटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*460. मो० सरवर आलम (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधामन विधान सभा क्षेत्र के गढ़गांव पंचायत, भागल पंचायत, गाछपारा पंचायत एवं सोंथा पंचायत के वार्डों में 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पेय जलापूर्ति (नल-जल) योजना' सुचारू रूप से संचालित नहीं होने के कारण आमजनता को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है तथा कई जगहों पर दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायतों के वार्डों में अबतक वाटर पंप स्थापित नहीं हो सके हैं तथा जहाँ पंप लगे भी हैं, वहाँ लो-वोल्टेज और बिजली की अन्य समस्याओं के कारण मोटर और पंप पूरी तरह ठप पड़े हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों में नए वाटर पंप लगाने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर परिषद् में स्टैण्ड का निर्माण

*461. श्री रामानन्द मंडल (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढ़ा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा नगर परिषद् के अधीन अभीतक स्टैण्ड (टेम्पू, फोर व्हीलर गाड़ी खड़ा करने के लिए) का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नगर परिषद् NH-80 के बगल में रहने के कारण टेम्पू चालक, छोटी चारपहिया वाहन मालिकों द्वारा स्टैण्ड के अभाव में NH-80 पर लगा देते हैं जिसे प्रतिदिन जाम की समस्या बनी रहती है एवं दुर्घटनाएं घटित होती रहती है जबकि स्टैण्ड निर्माण हेतु प्रचुर मात्रा में सरकारी जमीन भी उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नगर परिषद् में भूमि चिन्हित कराकर स्टैण्ड निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय देना

*462. श्री गौतम कृष्ण (क्षेत्र संख्या-77 महिषी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के महिषी विधान सभा क्षेत्र के महिषी, नौहट्टा एवं सत्तर कटैया प्रखंड में संचालित हर घर नल का जल योजना के अधिकांश केंद्र सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि पंप चालकों को निर्धारित मानदेय नियमित एवं समय पर भुगतान नहीं किए जाने के कारण अधिकांश योजनाओं का संचालन प्रभावित हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन तीनों प्रखंडों की सभी नल-जल योजनाओं की उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषी एजेंसियों एवं संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए पंप चालकों के नियमित भुगतान तथा सभी बंद एवं खराब योजनाओं को शीघ्र चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई

*463. श्री मनोज विश्वास (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बुडको (BUDCO) द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों सहित पूर्णियाँ जिलान्तर्गत फारबिसगंज विधान सभा क्षेत्र में सदर रोड फारबिसगंज, मेन रोड जोगबनी तथा गोड़ियारी चौक से पिंटू केशरी के घर तक कराए जा रहे सड़क निर्माण एवं मरम्मती कार्यों की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़कों का निर्माण पूर्ण होने के कुछ ही समय बाद सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी तथा गड्ढे में तब्दील हो गया है, जिससे आवागमन बाधित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार (BUDCO) द्वारा कराए जा रहे कार्यों की उच्चस्तरीय जाँच कर दोषी एजेंसी, संवेदक एवं संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्क का निर्माण कराना

*464. श्री विमल राजवंशी (क्षेत्र संख्या-235 रजौली (अ0 जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला का सबसे बड़ा एवं झारखंड राज्य की सीमा से सटा हुआ रजौली अनुमंडल घने वन क्षेत्र एवं बड़ी जनसंख्या वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ प्रतिदिन हजारों नागरिक विभिन्न प्रशासनिक शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए अनुमंडल मुख्यालय आते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि रजौली अनुमंडल मुख्यालय में बच्चों, युवाओं, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए आजतक कोई सुविकसित सार्वजनिक पार्क नहीं है, जिससे स्थानीय नागरिकों, विशेषकर बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रजौली अनुमंडल मुख्यालय में आधुनिक सुविधाओं से युक्त सार्वजनिक पार्क के निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्युत् शवदाह गृह निर्माण कराना

*465. श्री अतिरेक कुमार (क्षेत्र संख्या-78 कुशेश्वरस्थान (अ0 जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत नगर पंचायत बिरौल एवं कुशेश्वरस्थान में विद्युत् शवदाह गृह नहीं होने के कारण आमलोगों को शवदाह करने में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर पंचायत, बिरौल एवं कुशेश्वरस्थान में विद्युत् शवदाह गृह का निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवासीय कॉलोनी निर्मित कराने हेतु

*466. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दुल्हिनबाजार अंचलाधिकारी कार्यालय के ज्ञापांक संख्या 1694, दिनांक 27 जून, 2026 के माध्यम से रामप्रवेश पासवान, सूर्यनाथ मोची, वृजनंदन मोची तथा मनोज मोची सहित चार भूमिहीन दलित परिवारों को अतिक्रमणकारी बताते हुए दशकों से बसे उनके आवासीय स्थल से बेदखल करने हेतु नोटिस जारी किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सार्वजनिक भूमि पर वर्षों से बसे भूमिहीन परिवारों के पुनर्वास, बंदोबस्ती अथवा अन्यत्र वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराए बिना उनके आवासों को हटाए जाने से संबंधित परिवारों को बेघर होना पड़ेगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त आदेश को निरस्त करते हुए भूमिहीन परिवारों की भूमि का बंदोबस्त करने, अथवा अन्यत्र जमीन देने और साथ ही प्रत्येक पंचायत में भूमिहीन परिवारों के पुनर्वास हेतु आवासीय कॉलोनी निर्मित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सालय की स्थापना के संबंध में।

*467. श्री मौंशरीक मृणाल (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत खानपुर प्रखंड मुख्यालय में पशु चिकित्सालय नहीं रहने के कारण स्थानीय पशुपालकों को पशुओं के ससमय इलाज में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार खानपुर में पुराने प्रखंड कार्यालय भवन में पशु चिकित्सा केन्द्र की स्थापना कराने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक शुद्ध पेयजल एवं शौचालय का निर्माण

*468. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के पिपरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किशनपुर प्रखंड के किशनपुर बाजार, थरबिट्टा बाजार, आसनपुर कुमहा बाजार, दुर्गा मंदिर आसनपुर कुमहा, कुमरगंज, चौहट्टा बाजार में एक भी सार्वजनिक शौचालय तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं रहने के कारण बाजार आये महिलाओं, वृद्धजन, बच्चों एवं बीमार व्यक्तियों को काफी कठिनाई होती है साथ ही ये सभी अशुद्ध पानी एवं खुले में शौच करने पर विवश होना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थानों के मुख्य बाजार में सार्वजनिक शुद्ध पेयजल एवं शौचालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

किसानों को योजना का लाभ देना

*469. श्री अरूण कुमार (क्षेत्र संख्या-180 बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला अंतर्गत बख्तियारपुर, सुखरूपुर एवं दनियावां प्रखंड के सभी पंचायतों में किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र, सिंचाई सुविधाएँ तथा विभागीय योजनाओं का अपेक्षित लाभ समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इन प्रखंडों में कृषि विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की विशेष समीक्षा कर कमियों को दूर करने, कृषि समन्वयकों एवं संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा पात्र किसानों को समयबद्ध रूप से योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मरम्मती कराना

*470. श्रीमती संगीता देवी (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अंतर्गत 65-बलिरामपुर विधान सभा क्षेत्र की बारसोई एवं बलरामपुर नगर पंचायत में एलईडी स्ट्रीट लाइटों के रख-रखाव तथा सी0सी0टी0वी0 कैमरों की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है, फिर भी अधिकांश स्ट्रीट लाइटें एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरे खराब पड़े हैं, जिससे नगरवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है यदि हाँ, तो सरकार कबतक उच्चस्तरीय जाँच कर दोषी पदाधिकारियों एवं संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सभी खराब एलईडी स्ट्रीट लाइटों एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरों की मरम्मत कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करना

*471. श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार किसानों द्वारा उपज किये गये फसलों यथा धान और गेंहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए प्राथमिक साख समिति के माध्यम से खरीद करवाई जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2026 में प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा गेंहू की सरकारी दर 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि खुला बाजार में 2600 से 2700 रुपया प्रति क्विंटल दर है, जिसके कारण इस वर्ष बिहार प्रदेश में गेंहू फसल का अनुमानित उत्पादन 71.9 लाख मीट्रिक टन होने के बावजूद प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा मात्र 13 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के किसानों के हित में उत्पादित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*472. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनु सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अंतर्गत डेहरी नगर परिषद् क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर करोड़ों की बजट राशि से एलईडी स्क्रीन लगाई गयी है जो लगने के कुछ दिनों बाद ही खराब अथवा बंद पड़ने लगे है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त एलईडी स्क्रीन पर विभिन्न कम्पनियों के प्रचार-प्रसार कार्य से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होनी थी जो इन घटिया किस्म के एलईडी स्क्रीन के खराब हो जाने के कारण प्रभावित हो रहा हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त घटिया एलईडी स्क्रीन की जाँच कराकर इसमें सम्मिलित दोषी कंपनियां एवं सरकारी पदाधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुनर्वास कराने हेतु

*473. श्री विजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अंतर्गत बरारी प्रखंड में गंगा नदी के कटाव से पीड़ित परिवार फुलवरिया चौक से काढ़ागोला घाट तक जाने वाली सड़क के मड़वा से काढ़ागोला घाट तक सड़क के दोनों किनारे रहने को विवश है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर बसे पीड़ित परिवारों के लिए भूमि अधिग्रहण कर पुनर्वासित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कोल्ड स्टोरेज का निर्माण

*474. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज खोलने की योजना कार्यान्वित रहने के बावजूद मधेपुरा जिला के किसी भी प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे किसानों को अपने उत्पाद खासकर फलों एवं सब्जियों के रख-रखाव में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मधेपुरा जिला के सभी प्रखंडों के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

श्मशान घाट का निर्माण कराना

*475. प्रो0 नागेन्द्र राउत (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत नगर परिषद्, जनकपुर रोड में एक भी बुनियादी सुविधाओं युक्त श्मशान घाट नहीं है, जिसके कारण अंतिम संस्कार के समय आम नागरिकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार नगर परिषद्, जनकपुर रोड में बुनियादी सुविधाओं युक्त श्मशान घाट का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन की स्थापना

*476. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार में ई-किसान भवन की स्थापना प्रखण्ड स्तर पर होनी है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को प्रखण्ड स्तर पर उन्नत खेती की जानकारी, कृषि योजनाओं का लाभ और समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे करना है परन्तु सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर प्रखण्ड के ई-किसान भवन नहीं होने से वहां के किसानों को उन्नत खेती की जानकारी सरकारी योजनाओं का लाभ तथा उनके समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सारण जिलान्तर्गत ईसुआपुर प्रखण्ड में ई-किसान भवन की स्थापना का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना

*477. श्री उदय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के प्रखंड शेरघाटी, आमस एवं डोभी के कई पहाड़ी एवं सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में पेयजल स्तर नीचे चले जाने के कारण आमजनों को काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायतों में जलमीनार बनाकर जल संकट का समाधान करते हुए ग्रामीणजनों को शुद्ध पेयजल दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थापना करना

*478. श्री भीषम प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिलांतर्गत मैरवा प्रखंड की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन आधारित है, यहाँ के लोग बड़ी संख्या में पशुपालन करते हैं लेकिन मैरवा बाजार में दुग्धशाला, दूध भंडारण एवं शीतलन की कोई व्यवस्था नहीं हैं, जिससे किसानों को दूध एवं दूध से बनी उत्पादों को बिचौलियों के हाथों बहुत ही कम कीमत पर बेचना पड़ता है जिससे उन्हें रोज आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मैरवा बाजार में उक्त सेंटर की स्थापना कर पशुपालकों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुधा डेयरी प्लांट लगाना

*479. श्रीमती करिश्मा (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत परसा विधान सभा के प्रखंड दरियापुर के पंचायत हरिहरपुर में हरिहरपुर कोठी में 300 एकड़/बीघा सरकारी भूमि परती पड़ी हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भूमि पर सुधा डेयरी प्लांट लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कराना

*480. श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव नगर पंचायत के काली घाट से पूर्व में गंगा नदी का जल लेकर शिवकुमारी पहाड़ स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से सभी 17 वार्डों में पेयजलापूर्ति की जाती थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगभग 20 वर्षों से बंद/खराब रहने के कारण वर्तमान में केवल कुलकुलिया स्थित बोरिंग से भू-जल के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गंगा नदी पर इंटेक वेल एवं नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर पूरे नगर पंचायत में शुद्ध गंगाजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*481. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत नगर पंचायत, अमौर में हाईमास्ट लाइट, बस स्टैण्ड के निर्माण, राष्ट्रीय ध्वज, स्ट्रीट तिरंगा लाइट, सी0 सी0 टी0 वी0 कैमरा, डस्टबीन, वाटर कूलर, साईनिंग बोर्ड एवं फॉगिंग मशीन की बाजार मूल्य से 04 गुना अधिक में खरीद कर सरकारी राशि का गबन किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नगर पंचायत में सफाई टेंडर की अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 में समाप्त होने के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिना निविदा प्रक्रिया पूर्ण किये पुराने एजेन्सी को ही सफाई का काम दिया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त नगर पंचायत में 05 ओपेन जिम के बिना अधिष्ठापन के धनराशि की निकासी किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरकारी राशि का दुरूपयोग करने वाले अधिकारी एवं संलिप्त लोगों के विरुद्ध जांच कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थायी जल निकासी व्यवस्था करना

*482. श्री रोहित पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर शहर के जल निकासी तंत्र का प्रमुख आधार 'हथिया नाला' है, जिससे जुड़े लगभग 14 से 22 बड़े नालों की वर्षों से समुचित उड़ाही एवं गाद की सफाई नहीं होने के कारण वे संकीर्ण हो गए हैं जिससे वर्षा एवं बाढ़ के मौसम में गंभीर जल-जमाव की समस्या से आमजन का आवागमन बाधित होता है तथा लोगों को अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक स्थायी जल निकासी व्यवस्था के लिए कार्य योजना तैयार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कृषि विश्वविद्यालय बनाना

*483. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की क्या यह बात सही है कि 75 प्रतिशत से 80 प्रतिशत बिहार की जनसंख्या खेतों पर निर्भर करती है और 80-90 प्रतिशत लोग खेती करते हैं तथा बिहार की जी0 एस0 डी0 पी0 में खेती से 19 प्रतिशत, 24 प्रतिशत का योगदान देती है फिर भी बिहार में मात्र तीन ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सहरसा जिला में 75 एकड़ में बसे मंडन भारती कृषि महाविद्यालय को कृषि विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधिकारिक मान्यता प्रदान करना

*484. श्री गोपाल कुमार अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-53 ठाकुरगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अंतर्गत प्रखण्ड ठाकुरगंज लम्बे समय से अनानास उत्पादन का मुख्य केन्द्र रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड में वर्तमान में स्थानीय स्तर पर अनानास मंडी, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, पैकिंग सेंटर आदि की सुविधा नहीं है, जिसके कारण परिवहन, श्रम और आर्थिक बोझ किसानों को कमजोर बना रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ठाकुरगंज प्रखण्ड को पाइनएप्पल सिटी ऑफ बिहार के रूप में अधिकारिक मान्यता प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के संबंध में

*485. श्री विनय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत दिघवारा नगर पंचायत के संबंधित वार्डों में पूर्व से निर्मित नालियाँ जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण अपशिष्ट जल का समुचित निकास नहीं हो पाता है जिससे आमजन को जल निकासी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त समस्या के स्थायी समाधान हेतु कबतक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की स्थापना एवं आवश्यक सीवरेज अवसंरचना का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थाई स्थान उपलब्ध कराने हेतु

*486. श्री संजीव चौरसिया (क्षेत्र संख्या-181 दीघा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना में बसने वाले माली-मालाकार समाज के लोगों को फूल का स्थाई व्यापार करने हेतु कोई भी स्थाई स्थान उपलब्ध नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि माली-मालाकार समाज सर्दी, गर्मी एवं बरसात सभी मौसम में सड़क पर व्यापार करने को मजबूर हैं, साथ ही अतिक्रमण के नाम पर इनके मंडी को हटा दिया जाता है जिससे व्यापार में काफी नुकसान होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार माली-मालाकार समाज के लोगों के लिये फूल का व्यापार करने हेतु पटना में स्थाई स्थान उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण

*487. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत ताजपुर नगर परिषद् क्षेत्र में सब्जी मंडी के निकट सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानागार नहीं रहने से व्यापारियों और किसानों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ताजपुर सब्जी मंडी के निकट सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल आपूर्ति कराना

*488. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत रोहतास प्रखंड एवं नौहट्टा प्रखण्ड के ग्राम-तेलकप, करमा सहित दर्जनों गांवों में पेयजल स्रोतों के दूषित होने के कारण शुद्ध पेयजल की गंभीर समस्या 18 वर्षों से बनी हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इन दूषित पेयजल वाले गांवों में सोन नदी से पानी को लिफ्टिंग एवं फिल्टरिंग कर शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्क का सौंदर्यीकरण

*489. श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लु गुप्ता (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के सुगौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नगर पंचायत सुगौली में थाना के निकट (महात्मा गांधी) स्मारक एवं पार्क जर्जर हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्मारक एवं पार्क का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मीनार को चालू कराना

*490. श्री कलाधर प्रसाद मंडल (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिला के रूपौली प्रखंड अन्तर्गत कोयली सिमरी पश्चिम पंचायत में शुद्ध पेयजल हेतु बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्य प्रारंभ की गयी जो अभीतक अधूरा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पंचायत के बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य पूर्ण करवाकर हर घर नल का जल देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जवाबदेही सुनिश्चित कराना

*491. डॉ० प्रकाश चन्द्र (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में अंचल कार्यालयों में भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, नामांतरण, जमाबंदी, सीमांकन एवं अन्य राजस्व मामलों के निष्पादन हेतु बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत समय-सीमा निर्धारित है, जबकि इन्हीं मामलों की अपील, पुनरीक्षण एवं अन्य भूमि संबंधी वादों के निष्पादन हेतु DCLR, ADM तथा अन्य राजस्व प्राधिकारियों के स्तर पर कोई वैधानिक समय-सीमा निर्धारित नहीं है, जिस कारण हजारों भूमि संबंधी अपील एवं पुनरीक्षण मामले वर्षों तक लंबित रहते हैं, जिससे भूमि विवाद, मुकदमेबाजी, भ्रष्टाचार तथा आम नागरिकों की आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयाँ लगातार बढ़ रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक DCLR, ADM एवं अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा भूमि संबंधी वादों के समयबद्ध निष्पादन हेतु वैधानिक समय-सीमा निर्धारित कर उसकी निगरानी एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट व कचरा प्रसंस्करण इकाई स्थापित कराना

*492. श्री संजय कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-03 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिला अन्तर्गत आने वाली साठी-बेलवा नहर का एक बड़ा हिस्सा जो नरकटियागंज नगर परिषद् क्षेत्र के तहत आता है, के नगर परिषद् की नालियों का गंदा सीवेज का पानी और ठोस कचरा (Solid Waste) सीधे नहर में डाला जा रहा है, जिसके कारण नहर तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में भारी जलभराव और गंभीर प्रदूषण की स्थिति बनी हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियमों के तहत नरकटियागंज नगर परिषद् के गंदे पानी को साठी नहर में गिरने से रोकने के लिये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) व कचरा प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच करवाकर कटे नामों को पुन: जोड़ने हेतु

*493. श्री आलोक कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत दिनारा विधान सभा के नटवार खुर्द (दलित टोला) के आरती कुमारी, शिवकुमारी देवी, सरस्वती देवी सहित अनेकों गरीब परिवारों का राशन कार्ड से नाम काट दिया गया है जिससे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जाँच करवाकर कटे नामों को पुन: जोड़ने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि को वापस लेने हेतु

*494. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर विधान सभा क्षेत्र के पंचायत चकहबीब, महमदपुर सकरा, पतैलिया सहित अन्य पंचायतों में पैक्स अध्यक्षों को मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत एस० कुमार का मॅल्टीकॉप थ्रेसर की गुणवत्ता का जाँच किये बिना ही दिनांक 31 जुलाई, 2021 को भुगतान कराकर दे दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त संबंध में चकहबीब प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि० द्वारा दिनांक 27 जून, 2022 को जिला सहकारिता पदाधिकारी को एक आवेदन भी दिया गया है, जो अभीतक लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भुगतान की गयी राशि को वापस लेने या पैक्स अध्यक्षों को दूसरी कम्पनी की मॅल्टीकॉप थ्रेसर देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ देना

*495. श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में वर्तमान समय में किसानों को उर्वरक लेने के लिये जमीन का रसीद, किसान रजिस्ट्रेशन, कृषि समन्वयक द्वारा आधार अनुशंसा इत्यादि कागजातों की मांग की जा रही है, जिससे किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो प्रोपोजल आया है उसमें एलपीसी की बाध्यता है जबकि अधिकतर लोगों का जमीन का परिमार्जन, खाता खेसरा अपडेट नहीं हो पाया है जिससे उनका एलपीसी बनना असंभव है जिसके चलते काफी किसान इस योजना से वंचित रह जायेंगे ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों द्वारा स्वयं घोषणा-पत्र दिये जाने मात्र से किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नल-जल की व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने हेतु

*496. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लदनियां प्रखण्ड के सिघपा पंचायत के 13 वार्डों में केवल वार्ड नं० 08 में नल-जल सुचारू रूप से चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड के अन्य शेष 12 वार्डों में नल-जल सुचारू रूप से नहीं चलने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को परेशानी हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायत के शेष 12 वार्डों में नल-जल की व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पशु अस्पताल निर्माण कराना

*497. श्री राधाचरण साह (क्षेत्र संख्या-192 संदेश)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के चिल्हौस पंचायत अन्तर्गत राजस्व ग्राम-नसरतपुर में पशु अस्पताल नहीं रहने के चलते पशुपालकों को कठिनाई हो रही है तथा पशुओं के इलाज तथा अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु उन्हें लगभग 06 कि०मी० की दूरी तयकर संदेश जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में पशु अस्पताल के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सोसाइटी का गठन करने के संबंध में

*498. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक 03/NULM-05-26/2024/155, दिनांक 03 फरवरी, 2026 के द्वारा राज्य में कार्यरत परामर्शी संस्था का इकरारनामा (अनुबंध) समाप्त कर दिया गया है, जिसके कारण बिहार के 141 नगर निकायों में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के तहत कार्यरत 06 राज्य मिशन प्रबंधकों, लगभग 1450 सामुदायिक संसाधन सेवी और 127 नगर मिशन प्रबंधकों (CMMs) की आजीविका समाप्त हो गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अनुभवी कर्मियों की सेवा निरंतरता (Service Continuity) बनाये रखने तथा शहरी क्षेत्र में सोसाइटी गठन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नल-जल योजना से जल आपूर्ति कराना

*499. श्री राजेश कुमार मंडल (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के दरभंगा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के मनीगाछी एवं सदर प्रखंडों में 80% ग्रामीण जनता को नल-जल योजना का जल नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मनीगाछी एवं सदर प्रखंडों में नल-जल योजना से जल आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी अंचल अधिकारी पर कार्रवाई कराने हेतु

*500. श्रीमती बेबी कुमारी (क्षेत्र संख्या-91 बोचहां (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 103/26, दिनांक 06 मार्च, 2026 के आलोक में समाहरणालय, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 1052/वि०, दिनांक 10 मार्च, 2026 द्वारा मुशहरी अंचल में सरकारी जमीनों की अवैध बंदोबस्ती, गलत दाखिल-खारिज एवं भ्रष्टाचार की जाँच हेतु अपर समाहर्ता (राजस्व), वरीय उप-समाहर्ता (राजस्व) एवं भूमि सुधार उप-समाहर्ता (पूर्वी) मुजफ्फरपुर की उच्चस्तरीय संयुक्त जाँच समिति गठित की गयी जिसे मुशहरी अंचल अंतर्गत नदी की भूमि (खाता 691, खेसरा 165/1125), नरौली कृषि फार्म (खेसरा 428, 655), लोक निर्माण विभाग की भूमि तथा महादलित वासगीत पर्चा संबंधी अनियमितताओं की गहन जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु समिति द्वारा अभीतक कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक लंबित जाँच को पूरा कर दोषी अंचल अधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*501. श्री राजेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-137 मौहिउद्दीननगर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत मोहिउद्दीननगर प्रखण्ड के पंचायत रासपुरपतसिया पश्चिम वार्ड सं० 11 एवं अन्य में सड़क निर्माण एजेंसी के द्वारा नल-जल योजना से संबंधित सड़क किनारे जमीन के नीचे लगाये गये पाइप लाइन को पूर्णतः क्षतिग्रस्त कर दिये जाने के कारण सैकड़ों परिवार का जलापूर्ति ठप हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त परिवारों को जलापूर्ति सुचारू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्ण कराना

*502. श्री सियाराम सिंह (क्षेत्र संख्या-179 बाढ़)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बाढ़ नगर परिषद् स्थित उमा नाथ मंदिर एवं उसके आस-पास के सौंदर्यीकरण के लिये वर्ष 2025 में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 100(एक सौ) करोड़ से अधिक की योजना का शिलान्यास किया गया था, परन्तु एक साल बीत जाने के बाद भी कार्य की प्रगति काफी धीमी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मंदिर एवं उसके आस-पास के सौंदर्यीकरण का कार्य कबतक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराना

*503. श्री रूहेल रंजन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिले के एकंगरसराय प्रखंड के औंगारी पंचायत तथा इस्लामपुर प्रखंड की देखावा पंचायत के किसानों को धान की बुआई एवं कृषि कार्यों के दौरान समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक (खाद) उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिसके कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों प्रखण्डों में उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला निर्माण कराना

*504. श्री माधव आनंद (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत मधुबनी नगर निगम क्षेत्र निधि चौक से कैटोला चौक तक समुचित नाला नहीं होने के कारण वर्षा के दौरान जल-जमाव की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है, जिससे आमजन एवं राहगीरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मार्ग पर नाला निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

हाई मास्क लाइट लगाने हेतु

*505. श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला अन्तर्गत काको नगर पंचायत क्षेत्र में रात्रि के समय प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आमजन को कठिनाई एवं असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक काको नगर पंचायत के मंडल कारा, काको (जहानाबाद) तथा दुर्गा स्थान, काको जैसे महत्वपूर्ण एवं भीड़-भाड़ वाले स्थलों पर हाई मास्क लाइट लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कार्य पूर्ण कराना

*506. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला अन्तर्गत टिकारी प्रखंड में टिकारी नगर परिषद् के सामने नाला एवं अशोक भवन का निर्माण कार्य विगत 8 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक दोनों अधूरे योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सालय भवन का जीर्णोद्धार कराना

*507. श्री कुमार प्रणय (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत बरियारपुर प्रखंड के बरियारपुर उत्तरी पंचायत स्थित प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, बरियारपुर कार्यरत है, जिसका भवन काफी पुराना एवं जर्जर हो चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पशु चिकित्सालय वर्तमान में मात्र 2 कमरों के भवन में संचालित हो रहा है, जबकि इस पशु चिकित्सालय से बरियारपुर सहित आस-पास के तीन प्रखंडों के दर्जनों गांव के पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे अक्सर पर्याप्त कमरों के अभाव में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सालय के जर्जर भवन का जीर्णोद्धार करते हुये अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सुलभ शौचालय निर्माण कराना

*508. श्री इन्द्रदेव सिंह (क्षेत्र संख्या-110 बड़हरिया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत नगर पंचायत-सह-प्रखंड मुख्यालय, बड़हरिया में प्रतिदिन हजारों की संख्या में आमजनों का विभिन्न कार्यों हेतु आना-जाना होता है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं की संख्या काफी अधिक होती है, लेकिन मुख्यालय में एक भी सार्वजनिक सुलभ शौचालय नहीं होने से काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बड़हरिया में सार्वजनिक सुलभ शौचालय निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई के संबंध में

*509. श्री शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-97 पारू)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत नगर पंचायत, सरैया में ठेकेदार के द्वारा क्रय की गयी स्ट्रीट लाइटों में निर्धारित मानकों की घोर अनदेखी करते हुये सरकारी नियमों के विपरीत सामग्रियाँ खरीदा गया है, जिसके संबंध में स्थानीय वार्ड पार्षदों द्वारा पत्रांक 04, दिनांक 30 जून, 2026 के माध्यम से विभागीय प्रधान सचिव को शिकायत भी दर्ज करायी गयी है, यदि हाँ, तो सरकार सरकारी राशि के दुरूपयोग को रोकने के लिये इस पूरी खरीद प्रक्रिया की निष्पक्ष तकनीकी जाँच कराते हुये वित्तीय अनियमितता में संलिप्त ठेकेदार एवं संबंधित पदाधिकारियों पर विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई करने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*510. श्री नितेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत कसबा विधान सभा क्षेत्र के कसबा नगर में महावीर चौक से रानी सती चौक (वार्ड 11, 25, 26) तक एवं गढ़बनैली मेन मार्केट ओवरब्रिज से दीक्षित मार्केट (वार्ड 10,11,12) तक पक्की नाला का निर्माण नहीं होने से जल-जमाव के कारण नागरिकों एवं व्यापारियों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है तथा बाजार क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियाँ एवं दैनिक जन-जीवन प्रभावित होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त क्षेत्रों में पक्की नाला का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दिशा-निर्देश जारी कराने हेतु

*511. श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-223 औरंगाबाद)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में 'गैर-मजरुआ मालिक एवं बकाश्त' प्रकृति की भूमि की रजिस्ट्री निबंधन विभाग द्वारा की जा रही है, किन्तु अंचल कार्यालयों में ऐसी भूमि के दाखिल-खारिज एवं रसीद काटने पर रोक है, यदि हाँ, तो सरकार ऐसे काबिज रैयतों के हित में नामांतरण प्रक्रिया सरल बनाने तथा विशेष भूमि सर्वेक्षण में उनका हक सुरक्षित रखने हेतु दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 23 जुलाई, 2026 (ई०)।

पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026